न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. देवी सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत, निवासी ढाणा, नुरडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. पदम सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत, निवासी ढाणा, नुरडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार/उपपंजियक, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली दि.
08–01–2020 प्रकरण सं. 213/20

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री सुनील शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 03–08–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव नूरड़ा में आराजी नंबर 2545/2525 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी के नाम बिलानाम सरकार दर्ज है। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा 50 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग की खसरा रपट संवत् 2023 में हम वादीगण का कब्जेधारी के रूप में अंकित है। दिनांक 09–08–1978 को हम वादीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 169 खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित करने की कार्यवाही भी की गयी, किन्तु दिनांक 07–12–1978 को नामान्तरकरण [illegible] कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:10 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण विधिवत खारिज किया गया है, क्योंकि प्रकरण नामान्तरकरण योग्य ही नहीं था। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 3 तनकियात कायम की गयी एवं पक्षकारों की साक्ष्य लेकर व उभयपक्षों की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 08–01–2020 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–02–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गयी।

वक्त बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया किया कि कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत ने वर्ष 1978 में अपीलान्टगण के पक्ष में नामान्तरकरण खोला, जिसे बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया, जबकि कब्जा आज भी अपीलान्टगण का चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर आयी साक्ष्यों को नजर अंदाज करते हुए मात्र पटवारी के बयानों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्टगण को वाद वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर अपीलान्टगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विस्तृत विवेचन में वादीगण को विवादित आराजियात पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:10 IST
Reason: SelfAttested

साबित नहीं होने के आधार पर वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। क्योंकि अपीलान्ट/वादीगण का वाद मुख्यता उनके पुराने कब्जे के आधार ही है, जबकि उनके द्वारा कब्जे बाबत् कोई भी दस्तावेज न तो अधिनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जहां तक नामान्तरकरण उनके नाम होने का प्रश्न है, उक्त नामान्तरकरण वर्ष 1978 में खारिज हो चुका है, जिसकी किसी प्रकार की अपील अपीलान्टगण द्वारा नहीं की गयी है तथा नामान्तरकरण खारिज होने के करीब 32 वर्षो बाद अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है एवं देरी से वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–01–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 03–08–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:10 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

देवीसिंह पिता कल्याणसिंह राजपूत निवासी ढाणा, नुरडा, तह0 मावली जिला उदयपुर व अन्य बनाम **राज्य सरकार जरिये तहसीलदार /उपपंजीयक, मावली, जिला उदयपुर**

अपील नं.....**20/2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**...08**.....माह.....**01**.....**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**03**....माह.....**08**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री सुनील शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–01–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**03**.....माह.....**08**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:10 IST
Reason: SelfAttested